

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

419/2024/225

नील / इरुवा

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|----------|---|---|
| 2024/419 | श्री खिलेन्द्र सिंह | |
| 17/5/26 | पञावली पेश की गई वकील शपीलांत अपील फावली इवाडुमाट वारन्ते इरुवा नोटिस रेष्यो सं. 1 से पनसिडे 1.5.26 को पेश हो 2 | |
| 01/5/26 | पञावली पेश की गई वकील शपीलांत अपील फावली इवाडुमाट वारन्ते इरुवा नोटिस रेष्यो सं. 1 से 4 डिगंठ 15/5/26 को पेश हो 2 | |
| 15/5/26 | पञावली पेश की गई वकील शपीलांत अपील शकिनाथक शपीलांत के उपरिधृ होकर निवेदन किया कि शपील को भाडे नहीं चलकर नोटिस से श्वारिज करवाना चाहते हैं भट! शपील शपीलांत शकिनाथक शपीलांत द्वारा भाडे नहीं चलाने जाते हैं नोटिस किन्ने जाते हैं श्वारिज की जाती है पञावली जेसतुमाट होकर नम्बर से कत हो 2 | नील Sir, Not seen this appeal / |

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
कैम्प कोर्ड कंकड़ी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प
कोर्ड कंकड़ी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प
कोर्ड कंकड़ी



19/9

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय,
कैम्प कोर्ट केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या (418) सन् 2025
419

श्रीमति नीलू उम्र 37 वर्ष पुत्री श्री परमेश्वर जाट पत्नी श्री
रामसिंह जाति जाट निवासी बोगला तहसील केकड़ी, जिला
अजमेर हाल निवासी मान्दोलाई, तहसील टोडारायसिंह जिला
टोंक

--- अपीलान्त/अप्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति सूरता देवी पुत्री श्री किशनलाल जाट पत्नी श्री
भैरूलाल जाट जाति जाट निवासी ग्राम बोगला तहसील
केकड़ी जिला अजमेर हाल निवासी सांकरिया, तहसील
केकड़ी, जिला अजमेर

--- रेस्पोजेन्ट/प्रार्थी

- वद्री पुत्र श्री किशनलाल जाट
- मनभर पत्नी श्री परमेश्वर जाट
- विमला पत्नी श्री वद्रीलाल जाट समस्त जाति जाट
निवासीगण ग्राम बोगला तहसील केकड़ी, जिला अजमेर
- श्रीमति सीता पुत्री श्री किशनलाल जाट निवासी ग्राम
बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर हाल निवासी
मान्दोलाई, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

नीलू जाट

6. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार केकडी जिला अजमेर
7. श्रीमान् उपपंजीयक केकडी जिला अजमेर
8. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, वडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कालेडा कृष्णगोपाल, तहसील केकडी, जिला अजमेर
9. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा केकडी, जिला अजमेर

— प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्ट/अप्रार्थीगण

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी केकडी राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 44/2025 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 24/07/2025 को पारित किया गया के विरुद्ध

महोदय,

अपीलान्ट की और से निम्न निवेदन है कि :-

1. यह कि रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी ने विद्वान विचारण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है।
2. यह कि उक्त वाद के साथ ही रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन इस आशय का पेश किया था कि :- यह कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 09 श्रीमति सीता की

नीलजाट